

# कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक: 716 / 14-1, दिनांक: अलीगढ़, अक्टूबर, 01, 2020

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

**विषय :-** कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-post Facto) के अन्तर्गत अलीगढ़-रामघाट मार्ग (एम0डी0आर0-105) किमी0 चैनेज 9.10 की दांयी पटरी पर ग्राम हरदुआगंज के खसरा सं0-176 में विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0783 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति।

**संदर्भ-** आपका पत्रांक 207 / 11सी-अलीगढ़ / 14131 / 2015 दिनांक 28.07.2020 तथा प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ का पत्रांक 1011 / 14-1 दिनांक 30.09.2020.

महोदय,

कृपया आपके संदर्भित पत्र में इंगित की गयी आपत्ति का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ ने सन्दर्भित पत्र से संस्तुति सहित इस कार्यालय को उपलब्ध कराया है।

अतः प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित संशोधित प्रस्ताव के आधार पर संस्तुति सहित निम्नवत् 03 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित है।

क्र0सं0	आपत्तियाँ	निराकरण
1	दण्डात्मक स्वरूप जमा की जाने वाली धनराशि की गणना संलग्न की गयी है, किन्तु गणना भारत सरकार के पत्र दिनांक 29.01.2018 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नहीं की गयी है, जोकि त्रुटिपूर्ण है।	दण्डात्मक स्वरूप जमा की जाने वाली धनराशि की संशोधित गणना संलग्न कर प्रेषित है। (प्रस्ताव पृष्ठ सं0 64)

**संलग्नक-उपरोक्तानुसार।**

भवदीय,

(के0 प्रवीण राव)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक /  
प्रभारी वन संरक्षक,  
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

**पत्रांक / 14-1 दिनांकित।**

1. प्रतिलिपि- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रतिलिपि- डिवीजनल मैनेजर, नायरा एनर्जी लि0 (पूर्व में एस्सार ऑयल लि0), वर्ल्ड ट्रेड टावर, 1105-06, ग्यारवां तल, सेक्टर-16, नोएडा-201309 (उ0प्र0) को सूचनार्थ प्रेषित।

(के0 प्रवीण राव)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक /  
प्रभारी वन संरक्षक,  
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।